

कृषि मंत्रालय

मांग संख्या 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

क. वसूलियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)													
मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1089.17	92.93	1182.10	1583.26	96.25	1679.51	1339.88	105.33	1445.21	1887.20	99.37	1986.57	
पूँजी	6.40	...	6.40	16.74	...	16.74	16.64	...	16.64	22.80	...	22.80	
जोड़	1095.57	92.93	1188.50	1600.00	96.25	1696.25	1356.52	105.33	1461.85	1910.00	99.37	2009.37	
नियंत्रण तथा	3451	4.38	12.92	17.30	6.50	14.55	21.05	6.50	13.75	20.25	7.00	14.50	21.50
	2403	163.96	12.16	176.12	190.80	13.02	203.82	201.34	12.17	213.51	229.49	12.52	242.01
	4403	...	...	...	3.24	...	3.24	3.24	...	3.24	5.30	...	5.30
	जोड़	163.96	12.16	176.12	194.04	13.02	207.06	204.58	12.17	216.75	234.79	12.52	247.31
	2403	64.19	...	64.19	117.64	...	117.64	133.47	...	133.47	171.47	...	171.47
	3601	239.37	...	239.37	232.85	...	232.85	189.52	...	189.52	205.59	...	205.59
	3602	0.39	...	0.39	0.93	...	0.93	1.01	...	1.01	1.15	...	1.15
	जोड़	303.95	...	303.95	351.42	...	351.42	324.00	...	324.00	378.21	...	378.21
	2403	8.89	...	8.89	64.23	...	64.23	0.05	...	0.05	52.20	...	52.20
	2403	8.58	...	8.58	11.21	...	11.21	14.36	...	14.36	17.81	...	17.81
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.45	...	5.45
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
	4403	0.55	...	0.55	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00
	जोड़	9.13	...	9.13	16.21	...	16.21	19.36	...	19.36	29.36	...	29.36
		321.97	...	321.97	431.86	...	431.86	343.41	...	343.41	459.77	...	459.77
	2403	0.23	...	0.23	0.40	...	0.40	0.20	...	0.20	4.00	...	4.00
	3601	8.03	...	8.03	3.16	...	3.16	...	...	...	130.90	...	130.90
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
	जोड़	8.26	...	8.26	3.56	...	3.56	0.20	...	0.20	135.00	...	135.00
	2403	38.13	2.49	40.62	43.60	4.00	47.60	43.55	3.00	46.55	26.05	3.40	29.45

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
6. कुक्कुट विकास	3601	42.44	...	42.44	42.20	...	42.20	27.20	...	27.20	44.50	...	44.50
	जोड़	80.57	2.49	83.06	85.80	4.00	89.80	70.75	3.00	73.75	70.55	3.40	73.95
	2403	40.44	22.73	63.17	62.88	8.01	70.89	30.61	7.50	38.11	48.07	7.80	55.87
7. भेड़ और ऊन विकास	3601	39.67	...	39.67	37.76	...	37.76	35.82	...	35.82	46.18	...	46.18
	जोड़	80.11	22.73	102.84	100.64	8.01	108.65	66.43	7.50	73.93	94.25	7.80	102.05
	2403	5.28	6.82	12.10	8.00	7.30	15.30	7.05	7.00	14.05	10.85	7.15	18.00
8. मांस का प्रसंस्करण	3601	4.19	...	4.19	6.90	...	6.90	7.68	...	7.68	5.65	...	5.65
	जोड़	9.47	6.82	16.29	14.90	7.30	22.20	14.73	7.00	21.73	16.50	7.15	23.65
9. अन्य कार्यक्रम	2403	2.12	...	2.12	8.02	...	8.02	1.11	...	1.11	0.04	...	0.04
	2403	2.16	1.36	3.52	5.50	4.03	9.53	9.03	1.58	10.61	6.05	1.58	7.63
जोड़-पशु पालन डेयरी विकास	3601	8.99	...	8.99	7.35	...	7.35	10.13	...	10.13	10.80	...	10.80
	3602	...	...	...	0.05	...	0.05	...	...	...	0.05	...	0.05
	जोड़	11.15	1.36	12.51	12.90	4.03	16.93	19.16	1.58	20.74	16.90	1.58	18.48
		677.61	45.56	723.17	851.72	36.36	888.08	720.37	31.25	751.62	1027.80	32.45	1060.25
10. सहकारी समितियों की सहायता													
10.01 कोपरेटिव को सहायता	2404	8.10	...	8.10	8.90	...	8.90	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
11. डेयरी वेंचर पूंजी निधि	2404	32.40	...	32.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. दिल्ली दुग्ध योजना													
12.01 व्यय प्रावधान													
12.01.01 राजस्व व्यय	2404	...	301.51	301.51	...	350.00	350.00	...	370.00	370.00	...	370.00	370.00
12.01.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0404	...	-292.75	-292.75	...	-341.70	-341.70	...	-341.70	-341.70	...	-352.00	-352.00
कुल		...	8.76	8.76	...	8.30	8.30	...	28.30	28.30	...	18.00	18.00
12.02 पूंजी व्यय	4404	0.61	...	0.61	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
जोड़- दिल्ली दुग्ध योजना		0.61	8.76	9.37	1.00	8.30	9.30	1.00	28.30	29.30	2.00	18.00	20.00
13. डेयरी विकास परियोजना													
13.01 स्वच्छ दूध सहित गहन डेरी विकास कार्यक्रम	2404	22.40	...	22.40	24.40	...	24.40	38.40	...	38.40	80.00	...	80.00
14. राष्ट्रीय डैयरी योजना	3601	21.26	...	21.26	20.70	...	20.70	25.10	...	25.10	6.00	...	6.00
	3602	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	...
	जोड़	43.66	...	43.66	45.60	...	45.60	63.50	...	63.50	86.00	...	86.00
14.01 कार्यक्रम संघटक	2404	...	...	...	44.48	...	44.48	...	...	...	12.00	...	12.00
14.02 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	2404	...	...	...	44.48	...	44.48	10.00	...	10.00	118.00	...	118.00
जोड़- राष्ट्रीय डैयरी योजना		...	...	...	88.96	...	88.96	10.00	...	10.00	130.00	...	130.00

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
15. डेयरी उद्यमशीलता विकास	2404	...	...	...	78.29	...	78.29	100.29	...	100.29	125.00	...	125.00
जोड़-डेयरी विकास		84.77	8.76	93.53	222.75	8.30	231.05	183.79	28.30	212.09	353.00	18.00	371.00
मात्स्यिकी													
16. समुद्री मात्स्यिकी	2405	14.82	...	14.82	18.50	...	18.50	17.32	...	17.32	18.00	...	18.00
	3601	98.17	...	98.17	73.67	...	73.67	79.29	...	79.29	85.00	...	85.00
	3602	6.99	...	6.99	5.70	...	5.70	14.50	...	14.50	17.00	...	17.00
	जोड़	119.98	...	119.98	97.87	...	97.87	111.11	...	111.11	120.00	...	120.00
17. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी	2405	2.80	...	2.80	3.40	...	3.40	2.23	...	2.23	3.20	...	3.20
	3601	29.26	...	29.26	26.65	...	26.65	25.15	...	25.15	26.50	...	26.50
	3602	...	...	...	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	1.10	...	1.10
	जोड़	32.06	...	32.06	30.25	...	30.25	27.58	...	27.58	30.80	...	30.80
18. मत्स्य पालन संस्थाओं को सहायता													
18.01 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज	2405	0.10	2.01	2.11	...	3.50	3.50	...	3.26	3.26	...	3.75	3.75
18.02 राष्ट्रीय मात्स्यिकी हारवेस्ट पञ्च प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान	2405	1.42	4.64	6.06	1.50	5.75	7.25	1.50	5.28	6.78	1.70	5.76	7.46
	4405	0.36	...	0.36	0.50	...	0.50	0.40	...	0.40	0.50	...	0.50
	जोड़	1.78	4.64	6.42	2.00	5.75	7.75	1.90	5.28	7.18	2.20	5.76	7.96
18.03 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण	2405	35.50	7.69	43.19	31.00	10.00	41.00	33.49	9.50	42.99	32.00	10.00	42.00
	4405	3.07	...	3.07	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
	जोड़	38.57	7.69	46.26	35.00	10.00	45.00	37.49	9.50	46.99	37.00	10.00	47.00
18.04 सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज नॉटिकल इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग	2405	4.58	8.03	12.61	6.00	9.66	15.66	6.00	9.00	15.00	11.00	9.50	20.50
	4405	1.81	...	1.81	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
	जोड़	6.39	8.03	14.42	9.00	9.66	18.66	9.00	9.00	18.00	15.00	9.50	24.50
	जोड़- मत्स्य पालन संस्थाओं को सहायता	46.84	22.37	69.21	46.00	28.91	74.91	48.39	27.04	75.43	54.20	29.01	83.21
19. अन्य मात्स्यिकी कार्यक्रम	2405	...	3.46	3.46	...	4.13	4.13	...	3.99	3.99	...	4.41	4.41
20. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	2405	92.30	...	92.30	96.08	...	96.08	96.08	...	96.08	94.70	...	94.70
21. पाकिस्तान द्वारा ज्वल मत्स्य नावों का स्थानापन्न पैकेज	2405	...	...	...	...	4.00	4.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़-मात्स्यिकी		291.18	25.83	317.01	270.20	37.04	307.24	283.16	32.03	315.19	299.70	34.42	334.12
22. आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज	2403	44.69	...	44.69	86.75	...	86.75	20.45	...	20.45	26.00	...	26.00
	2404	1.77	...	1.77	4.24	...	4.24	8.24	...	8.24	6.00	...	6.00
	3601	0.26	...	0.26	7.70	...	7.70	1.31	...	1.31	3.00	...	3.00
	जोड़	46.72	...	46.72	98.69	...	98.69	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थी	2552	...	...	...	150.14	...	150.14	132.70	...	132.70	187.50	...	187.50

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
परियाजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान													
24. वास्तविक वसूलियां	2403	-7.53	-0.03	-7.56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2404	...	-0.10	-0.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2405	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	-1.56	...	-1.56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	-9.09	-0.14	-9.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		1095.57	92.93	1188.50	1600.00	96.25	1696.25	1356.52	105.33	1461.85	1910.00	99.37	2009.37
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. पशु पालन	12403	715.24	...	715.24	950.41	...	950.41	750.37	...	750.37	1062.80	...	1062.80
2. मात्स्यिकी	12405	291.18	...	291.18	270.20	...	270.20	283.16	...	283.16	299.70	...	299.70
3. डेरी विकास	12404	84.77	...	84.77	222.75	...	222.75	183.79	...	183.79	353.00	...	353.00
4. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	4.38	...	4.38	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	7.00	...	7.00
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	150.14	...	150.14	132.70	...	132.70	187.50	...	187.50
जोड़		1095.57	...	1095.57	1600.00	...	1600.00	1356.52	...	1356.52	1910.00	...	1910.00

1. इसमें पशुपालन डेयरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग के सचिवालय मुख्यालय में नेटवर्क-आधारित सूचना प्रणाली के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. यह प्रावधान पशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रम की राष्ट्रीय परियोजना और केन्द्रीय पशु विकास संगठनों जिसमें सात केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, केन्द्रीय प्रशोधित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान और देश में विभिन्न केन्द्रों में अवस्थित पशु-समूह पंजीकरण (हर्ड रजिस्ट्रेशन) पशु बीमा, और नई योजना राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम शामिल हैं, के लिए किया गया। इस मद में अनुसूचित जाति उप-आयोजना जनजाति हेतु 57.10 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

3. यह प्रावधान पशुधन स्वास्थ्य, जिसमें पशु रोग के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता की योजना, पशु प्लेग उन्मूलन सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना, व्यावसायिक दक्षता विकास (जिसमें अधीन भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है) और पशु स्वास्थ्य महानिदेशालय जिसमें पशु संगरोध प्रमाणीकरण, केन्द्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं तथा राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जैव उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र संस्थान, मौजूदा अस्पतालों/औषधालयों का सुदृढीकरण, राष्ट्रीय कीटनाशी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुरोग सूचना प्रणाली और खाद्य सुरक्षा और अनुमार्गनियता और एवियन इन्फ्लुएंजा पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए विदेशी सहायता प्राप्त योजना और तीन नई योजनाएं

(अर्थात् पशु चिकित्सा औषधि नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना, पशु चिकित्सा कालेजों की आधारभूत संरचना का उन्नयन/सुदृढीकरण, पशुधन प्रबन्ध) के लिए है। इस मद में अनुसूचित जाति उप-आयोजना जनजाति हेतु 66.20 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

4. यह प्रावधान पशुगणना के संचालन सम्बन्धी व्यय के लिए है। इस मद में अनुसूचित उप आयोजन हेतु 7.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

5. यह प्रावधान चारा विकास योजना के लिए है जिसमें राज्यों को दाना और चारा विकास में उनके प्रयासों के संपूर्ण हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान के जाती है। यह प्रावधान चारा उत्पादन और प्रदर्शन के क्षेत्रीय स्टेशन केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म और चारा फसलों पर मिनीकित परीक्षण के लिए भी किया गया है। अनुसूचित जाति उप आयोजना हेतु 11.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

6. यह प्रावधान कुक्कुट विकास संगठन, ग्रामीण बैक्यार्ड कुक्कुट विकास, कुक्कुट सम्पदा की स्थापना, पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड और कुक्कुट उद्योगों को वित्तीय राहत हेतु सब्सिडी के लिए है। अनुसूचित जाति उप-आयोजना हेतु 17.55 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

7. यह प्रावधान जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों के के एकीकृत विकास, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फ़ार्म और पशुओं कि लुप्तप्राय नस्लों के संरक्षण के लिए है। अनुसूचित जाति उप-आयोजना हेतु 2.45 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
8. यह प्रावधान नर भैंसों के बचाव और पालन-पोषण, मरे जानवरों के उपयोग, ग्रामीण वृद्धिखानों की स्थापना और आधुनिकीकरण और पशुओं सम्बन्धी विस्तार और सुपुर्दगी सेवाओं के लिए है।
9. यह प्रावधान एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, शूकर विकास और एफएओ के तहत क्षेत्रीय पशु उत्पादन तथा स्वास्थ्य आयोग हेतु भारत के अंशदान लिए है। अनुसूचित जाति उप-आयोजना हेतु 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
10. इस योजना का लक्ष्य जिला स्तर की रूग्ण सहकारी यूनियनों तथा राज्य स्तर के सहकारी संघों का पुनरुत्थान करना है। यह योजना राज्य सरकारों के साथ 50:50 के अनुपात के आधार पर कार्यान्वित के जा रही है। इस मद में अनुसूचितजाति उप-आयोजना हेतु 1.60 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
12. यह प्रावधान दिल्ली दुग्ध योजना के व्यय के लिए है। प्रारंभिक तौर पर इस व्यय को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वजट प्रावधान से पूरा किया जाता है तथा बाद में उसी को दूध, घी आदि की बिक्री से राजस्व प्राप्ति के रूप में वापिस प्राप्त किया जाता है।
13. इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं के विकास, दूध की अधिप्राप्ति/प्रसंस्करण/विपणन के लिए तकनीकी निविष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। यह प्रावधान डेयरी विकास कार्यक्रम योजना में दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना प्रदान करने हेतु है। अनुसूचित जाति उप-आयोजना हेतु 17.50 रुपए करोड़ का प्रावधान है।
14. राष्ट्रीय डेयरी योजना एक नीतिगत योजना है जिससे की 2021-22 तक प्रति वर्ष 180 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस योजना में संगठित क्षेत्र के अंतर्गत खरीद के लिए मौजूदा 30% से अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन को 65% तक लाना भी प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति उप-आयोजना हेतु 23.25 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
15. यह प्रावधान डेयरी उद्योग विकास के लिए किया गया है। अनुसूचित जाति उप-आयोजना हेतु 25.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
16. इस मद के अंतर्गत समुद्री मछली पालन विकास, अवसंरचना और हार्वैस्ट-पश्च कार्यक्रमों के विभिन्न संघटकों और मछुआरों के कल्याण के लिए प्रावधान रखा गया है। इस मद में अनुसूचित जाति उप-आयोजना हेतु 22.50 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
17. इसमें अंतर्देशीय मत्स्य पालन और मात्स्यिकी विकास डाटाबेस और सूचना नेटवर्क को सुदृढ़ करने का प्रावधान शामिल है। अनुसूचित जाति उप-आयोजना हेतु 7.50 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

18. इसके अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थित मात्स्यिकी संस्थानों के स्थापना सम्बन्धी व्यय के लिए प्रावधान रखा गया है।
19. आयोजना भिन्न के अंतर्गत यह प्रावधान मत्स्य पालन प्राधिकरण चेन्नई तथा दो विभागीय कैंटीनों के स्थापना सम्बन्धी व्यय के लिए है। इस प्रावधान में पशु प्रजनन तथा स्वास्थ्य आयोग तथा अन्य के लिय भारत का अंशदान भी शामिल है।
20. यह प्रावधान राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के लिए है। इस मद में अनुसूचित जाति उप-आयोजना हेतु 25.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
21. यह प्रावधान पाकिस्तान द्वारा जव्त कर लिए गए मात्स्यिकी जलयानों के प्रतिस्थापना पैकेज के लिए है।
22. इसमें देश के 31 आत्महत्या संभावित जिलों के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अधिक दूध देने वाले पशुओं, बछड़ों के पालन कार्यक्रम, मवेशी/भैंस प्रजनन और दाना एवं चारा पूर्ति कार्यक्रम के प्रचालन के लिए व्यवस्था करने हेतु विशेष विशेष पैकेज का प्रावधान है। इस मद में अनुसूचित जाति उप-आयोजना हेतु 12.35 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
23. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।